

(42)

(11)

कार्यालय कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.)

—: अधिसूचना :—

दिनांक ०१/०१/ 2014

क्रमांक / ०२ / २०१३— यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ (क्रमांक २ सन् २००७) की धारा ३ की उप-धारा (१) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति बालोद के द्वारा नीचे अनुसूची के दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ४-१३७ / सात-१ / २०१३ दिनांक ०१.०१.२०१४ के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ९० सहपठित धारा ७३ के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियों अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ७३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम(२) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात्

स.क्र	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्कम(हे.में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तालगांव	119.840	उत्तर-वन दक्षिण-वन पूर्व-वन पश्चिम-वन	22	देवारभाट	बालोद	बालोद



कलेक्टर
०१/०१/२०१४
जिला-बालोद(छ.ग.)

कार्यालय कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.)

— अधिसूचना :—

दिनांक ०१/०१/२०१४

क्रमांक / ०३ / २०१३— यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ (क्रमांक २ सन् २००७) की धारा ३ की उप-धारा (१) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति बालोद के द्वारा नीचे अनुसूची के दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ४-१३७ / सात-१ / २०१३ दिनांक ०१.०१.२०१४ के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ९० सहपठित धारा ७३ के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियों अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ७३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, ऐतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम(२) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात्

स.क्र	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेंड्रेस)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अमलीडीह	1142.620	उत्तर-वन	4	खेरथाडीह	बालोद	बालोद
			दक्षिण-वन				
			पूर्व-वन				
			पश्चिम-वन				



कलेक्टर
०१/०१/२०१४
जिला-बालोद(छ.ग.)

(3)

कार्यालय कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.)

—: अधिसूचना :—


दिनांक ०१/०१/ 2014


क्रमांक / ०५ / 2013— यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति बालोद के द्वारा नीचे अनुसूची के दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ४-137/ सात-१/ 2013 दिनांक 01.01.2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शवितराओं अपोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शवितराओं को प्रयोग में लाते हुए, एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम(2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात्

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हे.में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जगतरा	81.000	उत्तर—वन	29	बालोदगहन	गुरुर	बालोद
			दक्षिण—वन				
			पूर्व—वन				
			पश्चिम—वन				




 कलेक्टर
०१.०१.२०१४
जिला-बालोद(छ.ग.)

(4)

कार्यालय कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.)


—: अधिसूचना :—

क्रमांक / ०५ / 2013— यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति बालोद के द्वारा नीचे अनुसूची के दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ४-137/सात-1/2013 दिनांक 01.01.2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियों अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के काँलम(2) से दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात्

स.क्र	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हे.मे)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आमापानी	69.750	उत्तर-वन	27	बोरिदकला	गुरुर	बालोद
			दक्षिण-वन				
			पूर्व-वन				
			पश्चिम-वन				



१८८
कलेक्टर
२१.१.२०१४
जिला-बालोद(छ.ग.)

(५)

कार्यालय कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.)

— अधिसूचना —

क्रमांक / ०६ / २०१३— यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवारी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा ३ की उप-धारा (१) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति बालोद के द्वारा नीचे अनुसूची के दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

दिनांक ०१ / ०१ / २०१४

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ४-१३७/सात-१/२०१३ दिनांक ०१.०१.२०१४ के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ९० सहपठित धारा ७३ के अंतर्गत राजस्व ग्राम कां गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियों अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ७३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम(२) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात्

रा.क्र	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(ह.में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	करियाटोला	152.230	उत्तर-वन दक्षिण-वन पूर्व-वन पश्चिम-वन	34	कपरमेटा	गुरुखर	बालोद



०१/०१/२०१४
कलेक्टर, बालोद
जिला-बालोद(छ.ग.)

कायालिय कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.)

अधिसूचना :-

क्रमांक / १७ / २०१३ – यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की सामग्री) अधिनियम, 2006 (क्रमांक २ सन् २००७) की धारा ३ की उप-धारा (१) के खण्ड (ज) के अंतर्गत वन अधिकार समिति बालोद के द्वारा नीचे अनुसूची के दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।


और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ४-१३७/सात-१/२०१३ दिनांक ०१.०१.२०१४ के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ९० सहपठित धारा ७३ के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियाँ अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ७३ हारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम(२) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात्

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्कवा(हे.मे)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कोसमी	142,915	उत्तर—वन	34	कपरमेटा	गुरुर	बालोद
			दक्षिण—वन				
			पूर्व—वन				
			पश्चिम—वन				

कलेक्टर ११/१०/२०१४

जिला—बालोद(छ.ग.)



कार्यालय कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.)

— अधिसूचना :-

मानक / ०८ / २०१३— यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परपरागत वन निवासी(वन अधिकारी) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा ३ की उप-धारा (१) के खण्ड (ज) के ६ जिला वन अधिकार समिति बालोद के द्वारा नीचे अनुसूची के दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूपानंन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक १-१३७/सात-१/२०१३ दिनांक ०१.०१.२०१४ के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा १० सहपठित धारा ७३ के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी वंदों अधिकारियों की शवित्यों अधोहस्ताकरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ७३ द्वारा पद शवित्यों को प्रयोग में लाते हुए, एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम(२) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात्

स.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्खा(हि.मे)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ओडेनाडीह	155.470	उत्तर-वन दक्षिण-वन पूर्व-वन पश्चिम-वन	35	घानापुरी	गुरुर	बालोद



कलेक्टर ११/१२०१४
जिला-बालोद(छ.ग.)

(34)

(36)

कार्यालय कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.)

—: अधिसूचना :-

दिनांक 01/01/2014

109 / 2013— यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन शिवारी(वन अधिकारों की अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत वन अधिकार समिति बालोद के द्वारा नीचे अनुसूची के दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में एवं संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।


और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1/सात-1/2013 दिनांक 01.01.2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक नं. 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी वंदोवरत विधियों की शक्तियों अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त विधियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम(2) से दर्शित ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात्

वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्कम(हे.मे.)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
2	3	4	5	6	7	8
1 गोटाटोला	61.944	उत्तर-वन दक्षिण-वन पूर्व-वन पश्चिम-वन	35	हितेकसा	गुरुकर	बालोद

(मम)
कलेक्टर 1/2014

जिला-बालोद(छ.ग.)



कायालिय कलोवटर, जिला बालोद (छ.ग.)

(9)

— अधिसूचना :-


क्रमांक / 10 / 2013 — यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारी समिति) आधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

दिनांक 01/01

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01.01.2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोवर अधिकारियों की शक्तियों अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 हारा पदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम(2) से दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात्

संक्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हेंडे)	यन्त्रग्राम सीमाएं	पटवारी छलका नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नगबेलडीह	26.052	उत्तर-वन दक्षिण-वन पूर्व-वन पश्चिम-वन	35	हितेकसा	युरुकर	बालोद



कलोवटर
जिला-बालोद(छ.ग.)

(१०)

कार्यालय क्लेव्टर, जिला बालोद (छ.ग.)

— अधिसूचना :—

दिनांक ०१/१०/ 2014


क्रमांक / ११ / 2013— यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवारी(वन अधिकारी की पारिता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक २ सन् 2007) की धारा ३ की उप—धारा (१) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति बालोद के द्वारा नीचे अनुसूची के दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ४-१३७ / सात-१ / २०१३ दिनांक ०१.०१.२०१४ के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ९० सहपठित धारा ७३ के अंतर्गत राजस्व ग्राम को गठन करने संबंधी वंदेवरत अधिकारियों की शक्तियों अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ७३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम(२) ने दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात्

सं.क्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हे.मे.)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
१	२	३	४	५	६	७	८
१	दुरगाबाहरा	२२५.१७०	उत्तर—वन दक्षिण—वन पूर्व—वन परिचम—वन	३६	वडभूम	गुरुर	बालोद

(सं.क्र.)
 क्लेव्टर ११/१०/१४
 जिला—बालोद(छ.ग.)



(13)

कार्यालय कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.)

— अधिसूचना :-


दिनांक ०१/०१/२०१४

क्रमांक / १२ / २०१३ – यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ (क्रमांक २ सन् २००७) की धारा ३ की उप-धारा (१) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति बालोद के द्वारा नीचे अनुसूची के दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ४-१३७ / सात-१ / २०१३ दिनांक ०१.०१.२०१४ के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ९० सहपृष्ठि धारा ७३ के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्तु अधिकारियों की शक्तियाँ अधोस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ७३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम(२) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात्

संक्र.	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकमा(हे.मे)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वनपण्डेल	83.000	उत्तर-वन	4	घोबनी	डौण्डी	बालोद
			दक्षिण-वन				
			पूर्व-वन				
			पश्चिम-वन				


 कलेक्टर
११.०१.२०१४
जिला-बालोद(छ.ग.)



(5)

(11)

कार्यालय कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.)

-: अधिसूचना :-

दिनांक ०१/०१/२०१४

क्रमांक / १३ / २०१३— यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ (क्रमांक २ सन् २००७) की धारा ३ की उप-धारा (१) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति बालोद के द्वारा नीचे अनुसूची के दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ४-१३७ / सात-१ / २०१३ दिनांक ०१.०१.२०१४ के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ९० सहपठित धारा ७३ के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्तु अधिकारियों की शक्तियों अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ७३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम(२) से दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात्

स.क्र	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रक्कड़ा(हे.में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	परकालकसा	175.280	उत्तर-वन	14	मंगलतराई	डौण्डी	बालोद
			दक्षिण-वन				
			पूर्व-वन				
			पश्चिम-वन				



राजस्व
क्रमांक १३७/२०१४
जिला-बालोद(छ.ग.)

५३

(14)

कार्यालय कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.)

— अधिसूचना —

दिनांक ४) / ०१ / 2014

क्रमांक / १४ / 2013— यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा ३ की उप-धारा (१) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति बालोद के द्वारा नीचे अनुसूची के दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ४-१३७ / सात-१ / 2013 दिनांक ०१.०१.२०१४ के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ९० सहपठित धारा ७३ के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबरत अधिकारियों की शक्तियों अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ७३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम(२) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात्

स.क्र	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकमा(हे.मौ)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आमाबाहरा	211.550	उत्तर—वन दक्षिण—वन पूर्व—वन पश्चिम—वन	15	सिंधोला	डौण्डी	बालोद

जिला—बालोद(छ.ग.)



कलेक्टर
०१.०१.२०१४

(54)

(15)

कार्यालय कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.)

—: अधिसूचना :—

दिनांक 01/01/2014

क्रमांक / 15 / 2013— यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति बालोद के द्वारा नीचे अनुसूची के दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137 / सात-1 / 2013 दिनांक 01.01.2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियों अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम(2) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात्

स.क्र	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकमा(हि.में)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
			उत्तर—वन				
1	केशोपुर	97.170	दक्षिण—वन				
			पूर्व—वन	14	बेलोदा	डौण्डी	बालोद
			पश्चिम—वन				

जिला—बालोद(छ.ग.)



५९

1448

18/1/18
AD/2014
16/1/18
18/1/18

कार्यालय कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.)

--: अधिसूचना :-

दिनांक ०१/०१/२०१४

क्रमांक / १६ / २०१३— यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ (क्रमांक २ सन् २००७) की धारा ३ की उप-धारा (१) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति बालोद के द्वारा नीचे अनुसूची के दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ४-१३७ / सात-१/२०१३ दिनांक ०१.०१.२०१४ के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ९० सहपठित धारा ७३ के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियाँ अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ७३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम(२) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात्

स.क्र	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकमा(हे.मौ)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मर्ममखेड़ा	93.980	उत्तर-वन	14	बेलोदा	डौण्डी	बालोद
			दक्षिण-वन				
			पूर्व-वन				
			पश्चिम-वन				

कलेक्टर
०१/०१/२०१४
जिला-बालोद(छ.ग.)



(51)

(12)

कार्यालय कलेक्टर, जिला बालोद (छ.ग.)

—: अधिसूचना :—

दिनांक ०।/ ०।/ २०१४

क्रमांक / १७ / २०१३— यतः अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ (क्रमांक २ सन् २००७) की धारा ३ की उप-धारा (१) के खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला वन अधिकार समिति बालोद के द्वारा नीचे अनुसूची के दर्शित वन ग्राम को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यताप्रदान की गई है।

और यतः, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ४-१३७/सात-१/२०१३ दिनांक ०१.०१.२०१४ के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ९० सहपठित धारा ७३ के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी वंदोवस्त अधिकारियों की शक्तियाँ अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) की धारा ७३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतदद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम(२) में दर्शित वन ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात्

स.क्र	वन ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा(हे.मे)	वनग्राम सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
1	2	3	4	5	6	7	8
1	रजोलीडीह	158.700	उत्तर-वन	29	पुसाबड़	डौण्डी	बालोद
			दक्षिण-वन				
			पूर्व-वन				
			पश्चिम-वन				

०८
कलेक्टर ११/२०१४
जिला-बालोद(छ.ग.)



(21)

(17)

कार्यालय कलेक्टर, ज़िला बालोद (छ.ग.)

— अधिसूचना —

(मुन्द्र नगर अन्य बसाहट)

दिनांक 1/1/2014

क्रमांक / 18 / 2013- यह अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (क्रमांक 2 सन् 2007) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ज) के अंतर्गत ज़िला वन अधिकार समिति बालोद के द्वारा नीचे अनुसूची के हर्षित अन्य बसाहट को राजस्व ग्राम के रूप में परिवर्तन करने संबंधी वन अधिकार की मान्यता प्रदान की गई है।

और यह, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-167 / सात-1 / 2013 दिनांक 01.01.2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भु-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) वर्गी धारा 90 सहप्रित धारा 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का मर्तन करने संबंधी बंदोबस्ती अधिकारियों द्वारा अवित्याँ अधोहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है।

अतएव, छत्तीसगढ़ भु-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शब्दियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम(2) में दर्शित अन्य बसाहट, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात्

संख्या	अन्य बसाहट का नाम	ग्राम का कुल रकमा (हे.रु.)	वनशाली सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	ज़िला
		3	4	5	6	7	8
1	मुन्द्र नगर	89,510	उत्तर-वन				
			दक्षिण-वन				
			पूर्व-वन	49	हितापड़ार	ठोणडीलोहार	बालोद
			पश्चिम-वन				

मु

कलेक्टर
ज़िला-बालोद(छ.ग.)